न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2022	2022/007	04.01.2022	06.06.2022

उनवान प्रकरण

1. मालीराम पुत्र प्रभात आयु 60 साल
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभात आयु 56 साल
3. ख्यालीराम पुत्र प्रभात आयु 54 साल
4. कैलाश पुत्र प्रभात आयु 51 साल

   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अजमेरी तन् खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0

——अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

श्री सोहन लाल सैनी, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

Signature Not Verified

:: निर्णय ::

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 563 रकबा 1.30 हैक्टर जिसके नये खसरा नम्बर 659 रकबा 1.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 660 रकबा 1.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.74 हैक्टर तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिसकी खातेदारी नामान्तरण संख्या 151 के जरिये 1/2 हिस्सा प्रभात, हरनाथ पुत्रगण गंगु के नाम दर्ज की गई थी। जो संवत 2033 से 2036 में लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रभात पुत्र गंगु का नाम 1/2 हिस्से से लुप्त किया जाकर हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण की खातेदारी हरनाथ पुत्र गंगु के नाम अकिंत चली आ रही है, जो कतई गलत है एंव शेष 1/2 हिस्सा की खातेदारी रामनाथ पुत्र मंशा के नाम अकिंत रही थी। पुराने कृषि भूमि खसरा न. 624 रकबा 3.14 हैक्टर जिसके नये कृषि भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 0.01 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 781 रकबा 3.13 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 हैक्टर तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर दर्ज किये गये जिसकी खातेदारी पुर्व में 1/2 हिस्से की रामनाथ पुत्र मंशा के नाम व 1/2 हिस्से की खातेदारी गंगु पुत्र मंशा के नाम अकिंत चली आ रही थी तथा नामान्तरण संख्या 151 के जरिए गंगू की बजाय प्रभात व हरनाथ के नाम अकिंत कर दी गई। जिसके पश्चात रामनाथ के फौत होने के उपरान्त नामान्तरण संख्या 1098 के जरिये 1/2 हिस्सा रामनाथ के बजाय घीसी देवी बेवा रामनाथ के नाम अकिंत कर दी गयी। जिसमें से घीसी बेवा रामराथ ने अपने उक्त 1/2 हिस्से में से अपना उक्त 1/2 हिस्सा वसीयत के द्वारा प्रभात पुत्र गंगू के नाम अकिंत फरमा दिया गया व खसरा नम्बर 562 व 563 में 1/2 हिस्सा घीसी बेवा रामनाथ द्वारा की गयी वसीयत द्वारा संवत 2054 से 2059 में हरनाथ पुत्र गंगू के नाम अकिंत फरमा दिया गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 659, 660 में सम्पूर्ण हिस्सा हरनाथ के नाम अकिंत है जबकि 1/4 हिस्सा प्रभात के अकिंत होना चाहिए था। जो वर्तमान में उक्त 1/4 हिस्सा प्रभात के वारिसान अर्थात प्रार्थीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अकिंत किया जाना आवश्यक है व खसरा नम्बर 780 व 781 में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के बजाय 3/4 हिससा अंकित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त त्रुटि तत्कालीन राजस्व कर्मचारीयो की गफलत एंव लापरवाही से हुयी है। जो दुरूस्तनीय है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में त्रुटि होने से प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी है। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 659 एंव 660 कुल रकबा 2.74 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू का सम्पूर्ण हिस्सा हटाया जाकर हरनाथ पुत्र गंगू का 3/4 हिस्सा एंव 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम अकिंत की जानी न्यायोचित एंव आवश्यक है। इसी अनुसार खसरा नम्बर 780, 781 कुल किता 2 कुल 3.14 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा व प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की बजाय 3/4 हिस्सा अर्थात प्रार्थीगण प्रत्येक के वर्तमान रिकार्ड में दर्ज 1/8 हिस्से के स्थान पर 3/16 हिस्सा अंकित फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड में उक्तानुसार शुद्धि कराने के लिए राजस्व कर्मचारियो को प्रशासन गावों के संग अभियान में निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहां। इसलिए प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा की खातेदारी अंकित नहीं होने से प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी है एंव राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ से महरूम हो रहे है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 659 एंव 660 कुल रकबा 2.74 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू का सम्पूर्ण हिस्सा हटाया जाकर हरनाथ पुत्र गंगू का 3/4 हिस्सा एंव 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम अकिंत की जाने तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 780, 781 कुल किता 2 कुल 3.14 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा व प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की बजाय 3/4 हिस्सा अर्थात प्रार्थीगण प्रत्येक के वर्तमान रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

में दर्ज 1/8 हिस्से के स्थान पर 3/16 हिस्सा अंकित किये जाने व बैंको का रहन उक्तानुसार संशोधित हिस्से अनुसार किये जाने का का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 564/भू.अ./2022 दिनांक 01.03.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :-

ग्राम अजमेरी जमाबन्दी संवत 2029-32 के मुताबिक ख.न 624, 828, 562, 563 किता -4 कुल रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी रामनाथ पुत्र मनसा हि0 1/2, प्रभात, हरनाथ पि0 गंगू का 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2033-36 की भूमि खसरा नम्बर 624, 828, 562, 563 किता -4 कुल रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी रामनाथ पुत्र मनसा हि0 1/2, हरनाथ पि0 गंगू का 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबन्दी में प्रभात पुत्र गंगू का हिस्सा 1/4 सहवन से छूट गया। जमाबन्दी सम्वत् 2056-59 की भूमि खसरा नम्बर 624, 562, 563 किता -3 कुल रकबा 5.88 हैक्टर में नामान्तरण संख्या 1098 के द्वारा खसरा नम्बर 624 हिस्सा 1/2 की खातेदारी घीसी बेवा रामनाथ के बजाय प्रभात पि0 गंगू कौम जाट व खसरा नम्बर 562, 563 हिस्सा 1/2 की खातेदारी हरनाथ पुत्र गंगू कौम जाट (वसीयत के द्वारा) के नाम स्वीकार हुई। खसरा नम्बर 562, 563, 624 के हाल खसरा नम्बर 659, 660, 780, 781 बने है। ग्राम अजमेरी की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 374 की भूमि खसरा नम्बर 659, 660 किता 2 कुल रकबा 2.74 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी हरनाथ पुत्र गंगू के नाम दर्ज रिकार्ड है। [illegible] 244 के भूमि खसरा नम्बर 780, 781 किता 2 कुल रकबा 3.14 [illegible] प्रभात हि0 1/8 बिन रहन, ख्यालीराम, मालीराम, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण प्रभात हि0 3/8 व हरनाथ पुत्र गंगू का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1/2 दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 की जमाबन्दी अनुसार वर्तमान जमाबन्दी भूमि खाता सं. 374 खसरा नम्बर 659, 660 किता 2 कुल रकबा 2.74 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू के स्थान पर हरनाथ पुत्र गंगू हिस्सा 3/4 व मालीराम, लक्ष्मीनारायण, ख्यालीराम, कैलाश पि0 प्रभात हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार व भूमि खाता सं. 244 खसरा नम्बर 780, 781 किता 2 कुल रकबा 3.14 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू का हि0 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर हरनाथ पुत्र गंगू हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा शाहपुरा व मालीराम, लक्ष्मीनारायण, ख्यालीराम, कैलाश पि0 प्रभात हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 151 व 1098, जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032, 2033–2036, 2037–2040, 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056–2059, 2067–2070, 2071–2074, 2074–2079, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल व साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर के जमाबन्दी संवत 2029–32 के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 624, 828, 562, 563 किता –4 कुल रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी रामनाथ पुत्र मनसा हि0 1/2, प्रभात व हरनाथ पि0 गंगू का 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड होना तथा जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 की भूमि खसरा नम्बर 624, 828, 562, 563 किता –4 कुल रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी रामनाथ पुत्र मनसा हि0 1/2, हरनाथ पि0 गंगू

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

का 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त जमाबन्दी में प्रभात पुत्र गंगू का हिस्सा 1/4 सहवन से छूट जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। भूमि खाता सं. 374 खसरा नम्बर 659, 660 किता 2 कुल रकबा 2.74 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू के स्थान पर हरनाथ पुत्र गंगू हिस्सा 3/4 व मालीराम, लक्ष्मीनारायण, ख्यालीराम, कैलाश पि0 प्रभात हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार व भूमि खाता सं. 244 खसरा नम्बर 780, 781 किता 2 कुल रकबा 3.14 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू का हि0 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर हरनाथ पुत्र गंगू हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा शाहपुरा व मालीराम, लक्ष्मीनारायण, ख्यालीराम, कैलाश पि0 प्रभात हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की जाने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 659 रकबा 1.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 660 रकबा 1.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.74 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू का सम्पूर्ण हिस्सा हटाया जाकर हरनाथ पुत्र गंगू का हिस्सा 3/4 व मालीराम, लक्ष्मीनारायण, ख्यालीराम, कैलाश पि0 प्रभात हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह के नाम अंकित किया जावे एंव भूमि [illegible] 780, 781 कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 हैक्टर में हरनाथ पुत्र गंगू हि0 1/2 [illegible] 1/4 हिस्सा व प्रार्थीगण मालीराम, लक्ष्मीनारायण, ख्यालीराम, कैलाश पि0 प्रभात हिस्सा [illegible] 1/2 के स्थान पर 3/4 हिस्सा अर्थात प्रार्थीगण प्रत्येक के वर्तमान रिकार्ड में दर्ज 1/8 हिस्से के स्थान पर 3/16 हिस्सा दर्ज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाने की स्वीकृति दी जाती है एंव बैंको का रहन उक्त संशोधित हिस्से अनुसार अंकित किये जाकर खसरा नम्बर 659 व 660 बिना रहन के है उस पर रहन दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 11:43:09 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)